## न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 683 / 2014</u> संस्थित दि: 24 / 07 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — — अभियोगी

## विरुद

फागुसिंह पिता बुखउ बैगा, उम्र 20 साल, जाति बैगा, निवासी ग्राम घुरसीबहरा, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – – – – – आरोपी

## <u>—:: उर्पापण — आदेश ::</u>—

## <u>(आज दिनांक 15/09/2014 को उपार्पित किया गया)</u>

- (01) 💉 इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया लामी धुर्वे ने दिनांक 03.06.2014 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि वह उसकी नानी फुल्लाबाई के घर ग्राम राम्हेपुर मे रहती है। दिनांक 11.05.2014 को मेरे घर मेरे परिचित घुरसीबहरा का लड़का फागु बैगा आया और मुझे उसी दिन शाम को बहला फुसला कर यह कहकर अपने साथ घुरसीबहरा ले गया कि मैं तेरे साथ शादी करूगा मैं उसके साथ घुरसीबहरा चली गई यहां फागु बैगा ने मुझे अपने घर रखा और शादी करूगा कहकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये जब मैंने उसे यह बोला कि मेरे साथ शादी कब करोगे तो बोला कि कर लूंगा मुझे ऐसा लगा कि फागु मुझे शादी का लालच देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 49/14 अन्तर्गत धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक बिवेचना पूर्ण कर यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड सहिता की

धारा 363, 366, 376 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।, (06)
- उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (07)महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा (80)उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 29.09. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया गया।
- 🏲 प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल. सागर जांच हेतु भेजा जाना दर्शित है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

. उद्बोधन पर ्रत किया गया । (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेहर, जिला बालाघाट